### राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 09/2009/झालावाड़

2. अपील संख्या 10/2009/झालावाड़

मैसर्स एसोशिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज कोटा लिमिटेड रामगंजमण्डी

बनाम्

- उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर कोटा।
- सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन 2, कोटा

.....प्रत्यर्थी

.....अपीलार्थी.

<u>अपील संख्या 638/2009/कोटा</u>
अपील संख्या 639/2009/कोटा

.....अपीलार्थी.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन—प्रथम, कोटा। बनाम्

.....प्रत्यर्थी

### मैसर्स एसोशिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज कोटा।

#### <u>खण्डपीठ</u> <u>श्री नत्थूराम, सदस्य</u> श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

......व्यवहारी फर्म की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा अभिभाषक। श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक।

उपस्थित : :

.......राजस्व विभाग की ओर से. निर्णय दिनांक : 15.03.2018

#### निर्णय

यह चारों अपीलें अपीलार्थीगण व्यवहारी/राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त–प्रतिकरापवंचन, द्वितीय, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 18, 25, 55, 61(2)(बी) एवं 65 के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने/अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

कर बोर्ड की अपील संख्या	उपायुक्त अपील्स की अपील संख्या	क.नि.आ. दिनांक	क.नि.वर्ष	आरोपित (राशि में)		
				कर	ब्याज	शास्ति
09/2009	12/वेट/08-09	25.07.2008	2006-07	29,54,421	6,12,404	
10/2009	13/वेट/08-09	25.07.2008	2007-08	33,13,186	2,92,958	-
638/2009	12/वेट/08-09	25.07.2008	2006-07	-	-	59,08,842
639/2009	13/वेट/08-09	25.07.2008	2007-08	-	-	66,26,372

em

लगातार.....2

# - 2 - अपील संख्या 09, 10/2009 झालावाड एवं अपील संख्या 638, 639/2009/कोटा

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 09.07.2008 को सर्वेक्षण किया गया था। वक्त सर्वेक्षण व्यवहारी द्वारा कोटा स्टोन के खनन, ट्रेडिंग व निर्यात संबंधी कार्य किया जाना पाया गया। व्यवहारी के प्रमुख खनन क्षेत्र अतरालिया, कुम्भकोट, लक्ष्मीपुरा, सुकेत, सातलखेड़ी व पायली स्थानों पर होना पाया गया। सर्वेक्षण के दौरान एवं वैट–10 त्रैमासिक विवरण पत्रों के अनुसार व्यवहारी द्वारा कोटा स्टोन के उत्खनन हेतु प्रयुक्त ''कैपीटल गुड्स'', ''प्रोसेसिंग मेटेरियल'' आदि की खरीद के साथ-साथ ओपनिंग स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोग एवं दावा किया जाना पाये जाने पर व्यवहारी को दिनांक के उपभोग का दावा किया गया। आलौच्य वर्षो में आई.टी.सी. उपभोग का दावा अपने तिमाही विवरण पत्रों में विभिन्न मदों यथा ओपनिंग स्टॉक पर एवं ट्रेडिंग गतिविधियों हेतु की गई खरीद पर दिखाया है। ITC का कुल दावा 45,60,091/- का किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी ने उत्खनित कोटा स्टोन का कार्य विशुद्ध रूप से खनन प्रक्रिया माना है क्योंकि उत्खनित किये गये रफ कोटा स्टोन का Transformation भी अन्तिम रूप से कोई नया उत्पाद नहीं होकर कोटा स्टोन ही है जिसे विनिर्माण प्रक्रिया नहीं मानते हुए व्यवहारी द्वारा माइनिंग में प्रयुक्त प्रोसेसिंग मेटेरियल, केपीटल गुड्स आदि की खरीद पर व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. का उपभोग एवं दावे को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए कर व ब्याज को यथावत रखा एवं शास्ति को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध कर व ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा एवं शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

## उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने चारों तिमाही का कर निर्धारण आदेश पारित करने के स्थान पर वर्ष 2006–07 की पूरी अवधि के लिए कर निर्धारण आदेश पारित किया है जो राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के विपरीत एवं अविधिक होने से अपास्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 25 के तहत वर्ष 2006–07 की चारों तिमाही का एक ही कर निर्धारण आदेश पारित किया है जबकि नियमित कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा धारा 24(1) के तहत कोई विवरण पत्रों की जांच के पश्चात एक वर्ष की अवधि में यदि कोई गलती जांच के दौरान पाई जाती है तो निर्धारित प्रपन्न में नोटिस देकर अपीलान्ट से गलती को ठीक करवाया जा सकता है। धारा 24(1) के तहत जारी नोटिस की अनुपालना में अपीलान्ट संशोधित विवरण पत्र प्रस्तुत कर देता है तो उसं स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी

2m

लगातार......3

# – 3 – <u>अपील संख्या 09, 10/2009 झालावाड एवं अपील संख्या 638, 639/2009/कोटा</u>

सर्वोत्तम कर निर्धारण के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित कर सकता है। परन्तु अपीलान्ट का धारा 24 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण पारित नहीं होने के बावजूद धारा 25 के तहत कोई करवंचना प्रमाणित नहीं होने पर भी कर निर्धारण आदेश पारित किया है जो अविधिक एवं कानून के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि नियमित कर निर्धारण ने आयुक्त महोदय के परिपत्र क्रमांक प.16(2001)कर/आयुक्त/1081 दिनांक 31.03.2006 की अनुपालना में दिनांक 31.03. 2006 की अवधि तक कर योग्य माल का इनपुट टेक्स क्रेडिट का लाभ देते हुए दिनांक 26.12. 2006 को आदेश जारी किया। अपीलान्ट के पूर्व वर्षो के कर निर्धारण आदेशों में भी अपीलान्ट को विनिर्माणकर्ता मानते हुए इनपुट टेक्स क्रेडिट का लाभ दिया गया था जिसके संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में निर्णय दिये गये हैं। अतः प्रतिकरापवंचन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार ग्रहण कर जो कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है वह अविधिक होने से अपास्त किया जावे।

उन्होंने अपने कथन में यह भी कहा कि प्रतिकरापवंचन कर निर्धारण अधिकारी ने विनिर्माणकर्ता एवं कच्चे माल की परिभाषा का विश्लेषण अधिनियम के अनुसार नहीं करने की भूल की है। अधिकृत प्रतिनिधि ने वैट एक्ट, आरएसटी एक्ट 1994 एवं आरएसटी एक्ट 1954 के अन्तर्गत धारा 2(22), 2(27) एवं 2(के) की परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट को विनिर्माणकर्ता मानते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रतिकरापवंचन अधिकारी द्वारा नहीं देकर कर निर्धारण आदेश पारित किया है जो अविधिक होने से अपास्त किया जावे। अतः उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि व्यवहारी खननकर्ता है ना कि विनिर्माणकर्ता। अतः व्यवहारी को विनिर्माणकर्ता नहीं होने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल सकता है। व्यवहारी ने जो माल ट्रेडिंग क दौरान टैक्स अदा कर खरीद किया है उसका लाभ उसे दे दिया गया है। अधिनियम के प्रावधानानुसार व्यवहारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आईटीसी अस्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अन्त में उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है तथा शास्ति को पुनः बहाल (Restore) करने का निवेदन किया है।

हमने दोनों पक्षों की बहस का मनन किया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि :- अपीलार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस प्रकरण में

20

लगातार.....4

- 4 - अपील संख्या 09, 10/2009 झालावाड एवं अपील संख्या 638, 639/2009/कोटा

प्रतिकरापवंचन के क्षेत्राधिकार को अविधिक बताया है। इस संबंध में धारा 25 का अवलोकन किया जाना समीचीन है। इस धारा में 25(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि :--

(1) Where the assessing authority or any officer authorised by the Commissioner in this behalf has reasons to believe that a dealer has avoided or evaded tax or has not paid tax in accordance with law or has availed input tax credit wrongly, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period, that taxable turnover of such dealer on which tax has been avoided or evaded or has not been paid in accordance with law or wrong input tax credit has been availed and assess the tax to the best of his judgment.

इस प्रकार धारा 25(1) के तहत ITC का गलत उपयोग करने पर कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्णतः विधिसम्मत है।

अपील का प्रमुख बिन्दू यह है कि क्या व्यवहारी ईकाई द्वारा सम्पादित कोटा स्टोन का माईनिंग कार्य विनिर्माण Manufacturing कार्य की श्रेणी में आता है अथवा नहीं ? विनिर्माण कार्य की परिभाषा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में निम्न प्रकार से दी गई =: \$

"Manufacture" as defined and interpreted -

According to section 2(22) of the Vat Act 2003, "Manufacture" includes A. every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government.

Β. The Hon'ble Supreme Court has in the case of Delhi Cloth and General Mill Ltd. (AIR 1963 SC 791) and in the case of S.B. Sugar Mills (AIR 1968 SC 922), held that the word manufacture used as verb is generally understood to mean "bringing into existence a new substance" and not merely "to produce some change in a substance."

C. The Hon'ble Supreme Court has in the case of Devidas Gopal Krishna (1967: 20 STC 430), in the case of Harbilas Rai & Sons (AIR 1968 : 21 STC 17), and in the case of Commissioner of Sales Tax vs. Dr Sukh Deo (1969: 23 STC 385). Laid down that the word "manufacture" has been held to have various shades of meaning and in the context of sales tax legislation, if the goods to which some labour is applied remains essentially the same commercial article, it cannot be said that the final product is the result of the manufacture.

राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया "manufacturing" नहीं है क्योंकि वर्तमान में प्रभावी विधिक प्रावधानों के तहत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(22) में शब्द "manufacture" को निम्नानुसार परिभाषित किया है :- "manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government. 2m

लगातार.....5

5 – अपील संख्या 09, 10/2009 झालावाड एवं अपील संख्या 638, 639/2009/कोटा

व्यवसायी का प्रमुख कार्य कोटा स्टोन का उत्खनन का है जो विनिर्माण कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इस हेतु capital goods एवं Processing material पर चाही गई ITC अनुज्ञेय नहीं है।

धारा 18 के तहत ITC के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :--

18. Input Tax Credit :- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of Inter-state trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

(d) being use as packing material of goods, other than exempted goods, for sale; or

(e) being used as raw material 2[except those as may be notified by the State Government,] in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of Inter-state trade or commerce; or

(f) [being use as packing material of goods or as raw material in the manufacture of goods for sale] in the course of export outside the territory of India; or

[(g) being used in the state as capital goods in manufacture of goods other than exempted goods,] however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in the sub-section.

वेट एक्ट की धारा 2(7) के तहत Capital goods की परिभाषा निम्न प्रकार है :--

U/s 2(7)"Capital goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette; चूंकि व्यवसायी का कार्य विनिर्माण का नहीं है तथा व्यवसायी का मुख्य कार्य कोटा स्टोन का उत्खनन करना है अतः माईनिंग के लिए Capital goods का ITC अनुज्ञेय नहीं है।

माननीय RTB ने अपील संख्या 1546/2012 उदयपुर मैसर्स वर्धमान टाईल्स प्रा0 लि0 उदयपुर बनाम ACTO वार्ड IV वृत्त 'सी' उदयपुर में दिये गये निर्णय दिसम्बर 28.02.2013 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है।

Sec. 18(1)(G) of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 — Input Tax Credit — Appellant dealer was engaged in mining of marble blocks and purchased capital goods and consumables for the purpose of mining and claimed input tax credit. Assessing authority rejected the claim of ITC which was upheld by DC(Appeal) also. Rajasthan Tax Board while rejecting the appeal of the dealer held that : — By doing mining work no new commodity comes into existence. Any process can not be held as manufacturing process untill any new commodity comes

mo

लगातार......6

# - 6 - अपील संख्या 09, 10/2009 झालावाड एवं अपील संख्या 638, 639/2009/कोटा

T

into existence as held by Hon'ble Supreme Court in AIR 1963 SC 791. In this case no new commodity has come into existence, therefore, it can not be held that manufacturing of marble block is carried out by mining process. Therefore, assessing authority authority has not erred in rejecting the claim of ITC.

इसी प्रकार माननीय कर बोर्ड ने अपील नं0 2131/11 एवं 2132/11 मैसर्स मंगलम मार्बल्स व मैसर्स फोरमोस्ट मार्बल्स के निर्णय दिनांक 11.01.2013 में यह निर्णय किया है कि डायमण्ड सैगमैण्ट एवं बिट्स पर ITC भी देय नहीं है क्योंकि यह प्लान्ट एण्ड मशीनरी की श्रेणी में नहीं आते हैं। धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी द्वारा कर चुका कर कच्चे माल के रूप में क्रय किया गया माल का विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नवीन वस्तु का निर्माण कर कर योग्य माल के रूप में विक्रय किये जाने की स्थिति में ही चुकाये गये वैट का ITC अनुज्ञेय है। इसका मतलब यह नहीं है कि जॉब वर्क के निष्पादन एवं स्वयं के माल में विनिर्माण में प्रयुक्त कंजूमेबल आईटम पर चुकाये गये वैट का ITC अनुज्ञेय होगा।

इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी द्वारा अविधिक रूप से Claim की गई ITC को अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः आरोपित कर व ब्याज यथावत रखा जाता है। इस बिन्दु पर व्यवसायी की अपील अस्वीकार की जाती है।

जहां तक राजस्व द्वारा उपायुक्त अपील के निर्णय द्वारा धारा 61(2)(b) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के विरूद्ध अपील की है। वह बलहीन है क्योंकि अपीलान्ट ने सभी खरीद बिक्री के संव्यवहार अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज किया है किसी खरीद बिक्री को छिपाया नहीं है ऐसा ही निर्णय शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 में दिया जिसका संक्षित उल्लेख निम्नानुसार है:—

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

फलतः कर व ब्याज के बिन्दु पर व्यवसायी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा शास्ति के बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लास मालवीय) सदस्य

( नत्थूराम ) सदस्य